न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 62/2022

निर्णय दिनांक :– 15/6/2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. दिनेश पुत्र देवकीनन्दन जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान (राज.)
2. रमेशचन्द पुत्र देवकीनन्दन जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री अरविन्द कुमार
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 253 खसरा नम्बर 383 रकबा 1.27 है0, वाके ग्राम हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह्र मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः— उक्त आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज है और आवेदक का कब्जा है। आवेदक ने बताया कि उक्त आराजी के पूर्व दिशा में ग्राम रूघनाथपुरा के ख. नं. 76, 79 से सीमा विवाद है। आवेदक का जिन खातेदारो से विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। पड़ोसी खातेदार जिनसे सीमा विवाद है उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नही है । आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमीत राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत **2073—2076** में अंकित खाता संख्या 253 खसरा नम्बर 383 रकबा 1.27 है0, वाके ग्राम हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक पर प्रार्थीगण कब्जाकाश्त होने पर विधिवत् पत्थरगढी की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी/प्रार्थीगण को अपनी आराजी भूमि की सीमाओ से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली